p>

Title: Need to issue Schedule Caste certificate to Machwar sub communities in Uttar Pradesh.

श्री प्रवीन कुमार निषाद (संत कबीर नगर): सभापति महोदया, धन्यवाद ।

मैं सबसे पहले भगवान निषादराज जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे लोक सभा अध्यक्ष माननीय बिरला जी को स्वस्थ्य कर हम सबके बीच जल्द से जल्द भेजने का काम करें ।

मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में नदी, ताल और घाट के किनारे रहने वाली उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी, तकरीबन 14 प्रतिशत निषाद समुदाय, केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

सेन्सस मैन्युअल पार्ट-1 फॉर उत्तर प्रदेश, 1961 जाति जनगणना, 1961 के अनुसार और उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति संविधान, 1950 के अनुसार क्रमांक चार पर रघुवंशी ठाकुर को बहेलिया का, क्रमांक 18 पर बेलदार की उप-जातियों का, क्रमांक 24 पर जाटव की उप-जातियां – मोची, रैदास, रविदास, उतरहा, दखिनहा, अहिरवार, गाहरवार का, क्रमांक 53 पर बरेठा, रजक और कन्नौजिया को इसी प्रकार से धोबी का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता है ।

उसी सूची में क्रमांक 53 पर मझवार की उप-जातियां केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, माझी, निषाद, गोंड, राजगोंड को भी मिलना चाहिए । इसी तरह क्रमांक 18 पर बेलदार के साथ बिंद भी है, क्रमांक 36 पर गोंड के साथ कहार, कश्यप, बाथम, रैकवार, क्रमांक 56 पर तुरैहा के साथ तुरहा धीवर, क्रमांक 59 पर पासी तरमाली के साथ भर और राजभर को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए ।

महोदया, आज इस सदन के माध्यम से आपसे विनम्र निवेदन है कि न्याय और उम्मीद के साथ भारत सरकार की जाति जनगणना, 1961 और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, 1950 के अनुसार अगर इन जातियों को प्रमाण पत्र मिल रहा है, तो क्रमांक 53 पर मझवार की उप-जातियां निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद इन लोगों को भी प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग नदी-ताल के किनारे मछली मारकर जीवन यापन करते हैं । इनकी रोजमर्रा की जिंदगी डेली-बेसिज़ पर कमा कर खाने की है । अगर इनको कांस्टिट्यूशनल सेफगार्ड, संवैधानिक आरक्षण मिल जाए, तो इसके लिए हमारा समाज इस सदन के प्रति बहुत-बहुत आभारी रहेगा । धन्यवाद ।